भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2873

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

2873. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन और स्वीकृति 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनसंख्या और बस्तियों के पुराने आंकड़ों पर निरंतर निर्भरता के परिणामस्वरूप पात्र जिले और बस्तियां सड़क संपर्क से वंचित रह गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़कों की स्वीकृति के लिए किसी जिले को विशेष रियायत दी गई है या 2011 की जनगणना के मानदंडों से छूट प्रदान की गई है; और

(घ) उन मानदंडों, मानकों और दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर उक्त छूट प्रदान की गई थी?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितम्बर 2024 को कुल 70,125 करोड़ रु (केंद्रीय अंश ₹49,087.50; राज्य अंश ₹21,037.50 करोड़) के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया जिसका उद्देश्य आवश्यक क्रॉस ड्रेनेज एवं पुलिया निर्माण सहित 62,500 किलोमीटर लंबाई की बारहमासी सड़कों के निर्माण के माध्यम से पूर्व में संपर्कता रहित 25,000 बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। वस्तुनिष्ठ चयन सुनिश्चित करने हेतु जनगणना 2011 को जनसंख्या

डेटा के लिए मानक बेंचमार्क के रूप में निर्धारित किया गया है तथापि विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उल्लेखनीय शिथिलताएँ प्रदान की गई हैं:

(i) सामान्य क्षेत्र: 500 या अधिक जनसंख्या वाली बसावटें।

(ii) विशेष श्रेणी के क्षेत्र: पर्वतीय राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों के लिए 250 या अधिक जनसंख्या की न्यूनतम सीमा लागू होगी।

(iii) आकांक्षी जिले/ब्लॉक: इन क्षेत्रों को भी 250 या अधिक जनसंख्या के शिथिल मानदंड का लाभ प्राप्त होगा।

(iv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले: गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित 100 या अधिक जनसंख्या वाली बसावटों तक संपर्क सुविधा विस्तारित की जाएगी।

यह योजना अनुसूचित जनजाति-बहुल बसावटों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) तथा अनुसूचित जाति-सघन क्षेत्रों के लिए पीएम-अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजेय) के साथ अभिसरण के माध्यम से सामाजिक समावेशन को भी प्राथमिकता प्रदान करती है।

***